

अम्बाडी - १७५७ - ६१ | १४

## भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण

दिनांक १३/०७/१८

मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 समिति की प्रथम बैठक दिनांक 20.06.2018 का

### कार्यवाही विवरण

उद्योग विभाग (ग्रुप १) के द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.05.2018 द्वारा गठित भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीडा भिवाडी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 समिति की प्रथम बैठक दिनांक 20.06.2018 को 12 बजे बीडा कार्यालय में आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारीगणों ने भाग लिया।

१.	श्री शशिकान्त	वरिंग नगर नियोजक, बीडा भिवाडी	सदस्य सचिव
२.	श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव	तहसीलदार, बीडा भिवाडी	सदस्य
३.	श्री कुमार संभव अवस्थी	अधिशासी अभियन्ता, बीडा भिवाडी	सदस्य
४.	श्रीमती संध्या सैनी	सहायक नगर नियोजक, बीडा भिवाडी	सदस्य

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा प्रकरणों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया तदूपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये:

		बैठक	01
		प्रकरण का प्रकार	ले-आउट प्लान / साईट प्लान अनुमोदन हेतु
		दिनांक	20.06.2018
		एजेण्डा	01
1	विषय	श्री मुकेश कुमार मोर्य पुत्र श्री मालीराम निवासी अम्बेडकर कॉलोनी हरमारा घाटी सिकर रोड जयपुर जरिये मु0आ मै0 जेनेकस्ट इन्फार्टेक प्रा0 लि0 जरिये निदेशक श्री रतन लाल गुप्ता पुत्र श्री ताराचन्द गुप्ता डब्ल्यू 6/29, लेन न 6 मानेक्स मार्ग अनुपम गार्डन सैनिक फार्म नई दिल्ली द्वारा ग्राम नीमराणा तह0 बहरोड जिला अलवर के ख0न0 212, 213 कुल किता 02 कुल रकवा 5000 वर्ग मी0 भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अधीन साईट प्लान अनुमोदन वावत।	
2	आवेदक का नाम	श्री मुकेश कुमार मोर्य पुत्र श्री मालीराम जरिये मु0आ मै0 जेनेकस्ट इन्फार्टेक प्रा0 लि0	
3	भूखण्ड का क्षेत्रफल	5000 वर्ग मी0	
4	भूखण्ड के सामने सड़क की चौड़ाई	50 फीट (राजस्व रिकार्ड अनुसार)	
5	भूखण्ड का उपयोग	आवासीय (मुख्यमंत्री जन आवास योजना )	
6	प्रकरण की वर्तमान स्थिति	01. निजी खातेदार श्री मुकेश कुमार मोर्य पुत्र श्री मालीराम निवासी अम्बेडकर कॉलोनी हरमारा घाटी सिकर रोड जयपुर जरिये मु0आ मै0 जेनेकस्ट इन्फार्टेक प्रा0 लि0 जरिये निदेशक श्री रतन लाल गुप्ता पुत्र श्री ताराचन्द गुप्ता डब्ल्यू 6/29, लेन न 6 मानेक्स मार्ग अनुपम गार्डन सैनिक फार्म नई दिल्ली द्वारा ग्राम नीमराणा तह0 बहरोड जिला अलवर के ख0न0 212, 213 कुल किता 02 कुल रकवा 5000 वर्ग मी0 भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए के अन्तर्गत आदेश प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 14.03.2018 को पारित किये जा चुके हैं इस प्रकार आवेदित भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र की 90-ए की कार्यवाही की जा कर भूमि राजस्व रिकार्ड में बीडा भिवाडी के नाम दर्ज हो चुकी है। जो पत्रावली में संलग्न है।	
7	मास्टर प्लान में भूमि का उपयोग	एस.एन.बी मास्टर प्लान 2041 के अनुसार उक्त भूमि का भू-उपयोग कृषि हेतु प्रस्तावित है।	
08	प्रकरण के तथ्य एवं विचारणीय विन्दु	01. पटवारी/कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत चैक लिस्ट के अनुसार प्रकरण में आवेदक की कुल भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार 5000 वर्गमीटर भूमि है एवं सुपरईमोजिसन एवं मौके अनुसार भूमि का रकवा 4859.00 वर्ग मी0 प्राप्त होता है। 02. मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि ग्राम नागोड़ी से ग्राम सलारपुर सड़क के लगभग 100 फीट दूरी पर है तथा भूखण्ड के दक्षिण में मौके एवं राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन नाला है जिसकी मौके पर न्यास की भूमि पर बीटी दिवार से चौड़ाई 22 मी0 है। भूखण्ड के उत्तर दिशा में राजस्व रास्ता है, उक्त रास्ते में 3.75 मी0 चौड़ाई 22 मी0 है। भूखण्ड के उपलब्ध रास्ते की चौड़ाई (कच्ची + पक्की) 18 मी0 है। तथा रास्ते की चौड़ाई अनइवन है। 03. तहसीलदार बहरोड की रिपोर्ट के अनुसार भूखण्ड के सामने रास्ते की चौड़ाई राजस्व रिकार्ड अनुसार 50 फीट है तथा मुख्यमंत्री जन आवास योजना हेतु न्यूनतम 9 मी0 पहूंच मार्ग आवश्यक है। मौके पर रास्ते की चौड़ाई 18 मी0 उपलब्ध है उक्त रास्ते से लगते हुये न्यास द्वारा पूर्व में अन्य परियोजना (मुख्यमंत्री जन आवास योजना हेतु) स्थीकृत प्रदान की गई है। अतः उक्त सड़क का मार्गाधिकार 90 ए आदेश अनुसार 18 मी0 अथवा राजस्व रिकार्ड अनुसार में से निर्धारित कर सड़क के अन्तर्गत आने वाली भूमि समर्पित कराते हुये प्रकरण स्थीकृत करने हेतु विचारार्थ।	

- 28.12.
4. प्रकरण में अधिशासी अभियन्ता जल संशोधन विभाग खण्ड अलवर के पत्र दिनांक 2017 के द्वारा प्राप्त राय अनुसार भूमि किसी बांध के केचमेंट में स्थित नहीं है। तथा आवेदित भूमि के पास से निकलने वाले नाले की चौड़ाई 30 मी० से कम नहीं रखी जावें मौके पर नाले की चौड़ाई 22 मी० उपलब्ध है अतः शेष 8 मी० चौड़ी भूमि नाले हेतु आरक्षित रखने हेतु विचारार्थ।
5. आवंटन योग्य भूखण्ड का क्षेत्रफल 20000 वर्ग मी० से कम होने पर आवेदित भूमि में से 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र अथवा नियमानुसार 5 प्रतिशत भूमि के समतुल्य आरक्षित दर पर राशि ली जावे। नियमानुसार राशि प्राप्त करने वालत विचारार्थ।
6. आवंटन योग्य भूखण्ड का क्षेत्रफल 5000 वर्गमीटर से कम है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना हेतु आवंटन की समस्त क्षेत्रफल की शक्तियाँ स्थानीय समिति को ही है। अतः प्रकरण उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में विचारार्थ।
- निर्णयः— समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से आवेदित भूमि का साईट प्लान/ले-आउट प्लान मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया:-
1. आवेदित भूमि का भू-उपयोग आवासीय है मुख्यमंत्री जन आवास योजना एवं प्रधान मंत्री जन आवास योजना के तहत गरीबों के लिये (EWS/LIG) आवास उपलब्ध कराये जाते हैं। अतः व्यापक जन हित में परियोजना को मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत स्वीकृत किया जाता है।
2. आवेदक की कुल भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार 5000 वर्गमीटर भूमि है एवं सुपरइम्पोजिसन एवं मौके अनुसार भूमि का रकबा 4859.00 वर्ग मी० प्राप्त होता है। आवेदित भूमि राजस्व रास्ते पर स्थित है जिसकी चौड़ाई प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 18 मी० रखते हुये 90ए आदेश जारी किये गये हैं साईट प्लान/ खसरा प्लान के अनुसार राजस्व रास्ते की चौड़ाई अधिक प्रतीत होती है। अतः उक्त रास्ते की चौड़ाई न्यूनतम 18 मी० अथवा राजस्व रिकार्ड अनुसार जो भी अधिक हो रखते हुये भूमि समर्पित कराते हुये शेष भूमि आवंटन योग्य है।
3. प्रकरण में अधिशासी अभियन्ता जल संशोधन विभाग खण्ड अलवर के पत्र दिनांक 28.12.2017 के द्वारा प्राप्त राय अनुसार भूमि किसी बांध के केचमेंट में स्थित नहीं है। तथा आवेदित भूमि के पास से निकलने वाले नाले की चौड़ाई 30 मी० से कम नहीं रखी जावें मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर नाले की चौड़ाई 22 मी० उपलब्ध है आवेदक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत हो नाले के मध्य से दोनों तरफ समान चौड़ाई में भूमि आरक्षित रखे जाने हेतु निवेदन किया है तथा आवासीय योजना में सुरक्षा संबंधी समस्त इंतजाम किये जाने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः शेष 8 मी० चौड़ी भूमि नाले के मध्य से दोनों तरफ समान चौड़ाई में हेतु आरक्षित रखी जावें।
4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 नियमानुसार सुविधा क्षेत्र के पेटे में समस्त देय शुल्क लागू होगे।
5. आवंटन योग्य भूखण्ड का क्षेत्रफल 20000 वर्ग मी० से कम होने पर आवंटित भूमि में से 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र अथवा नियमानुसार 5 प्रतिशत भूमि के समतुल्य आरक्षित दर पर राशि ली जावे। आवेदक द्वारा सुविधा क्षेत्र आरक्षित रखे जाने हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। नियमानुसार राशि प्राप्त की जावें।
6. भूखण्ड का क्षेत्रफल 5000 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण प्रकरण को आवंटन/रूपान्तरण की स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना है। किन्तु मुख्यमंत्री जन आवास योजना हेतु आवंटन की समस्त क्षेत्रफल की शक्तियाँ स्थानीय समिति को ही हैं। अतः तदानुसार स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
7. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत जारी समस्त गाईड लाईन्स/परिपत्रों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

		बैठक	01
		प्रकरण का प्रकार	ले-आउट प्लान / साईट प्लान अनुमोदन हेतु
		दिनांक	20.06.2018
		एजेण्डा	02
1	विषय	मैं ० एस.आर.जी.पी. कार्पोरेशन लि० पता:- गंजेस नगर, ३६५ हैरिसगंज (टाट मिल चौराहा) कानपुर, उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम लादिया तह० तिजारा जिला अलवर के खसरा नं० १९, ४८ कुल किता ०२ रक्का १.२१ है० भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान ३वी के तहत भूमि का आवासीय (प्लॉटेड) हेतु ले-आउट प्लान स्वीकृति बाबत:-	
2	आवेदक का नाम	मैं ० एस.आर.जी.पी. कार्पोरेशन लि० पता:- गंजेस नगर, ३६५ हैरिसगंज (टाट मिल चौराहा) कानपुर, उत्तर प्रदेश	
3	भूखण्ड का क्षेत्रफल	१.२१ है०	
4	भूखण्ड के सामने सड़क की चौड़ाई	१८ मी०	
5	भूखण्ड का उपयोग	आवासीय प्लॉटेड (मुख्यमंत्री जन आवास योजना )	
6	प्रकरण की वर्तमान स्थिति	<p>०१. निजी खातेदार श्री रमेश कुमार पुत्र श्री हीरा लाल निवासी ग्राम टपूकडा तह० तिजारा जिला अलवर राज० एवं श्री मनोज कुमार पुत्र श्री जानीराम निवासी सी-२२ चन्द्र विहार मुण्डरावली दिल्ली द्वारा ग्राम लादिया तह० तिजारा जिला अलवर के खसरा नं० १९, ४८ कुल किता ०२ रक्का १.२१ है० भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा ९० ए के अन्तर्गत आदेश प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक १४.०९.२०१६ को पारित किये जा चुके हैं इस प्रकार आवेदित भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र की ९०-ए की कार्यवाही की जा कर भूमि राजस्व रिकार्ड में न्यास भिवाडी के नाम दर्ज हो चुकी है। जो पत्रावली में संलग्न है।</p> <p>०२. उक्त भूमि का ९०-ए आदेश पश्चात म मैं ० एस.आर.जी.पी. कार्पोरेशन लि० द्वारा रजिस्ट्र्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रय करने के पश्चात नामान्तरण किया जा चुका है।</p>	
7	मास्टर प्लान में भूमि का उपयोग	ग्रेटर भिवाडी मास्टर प्लान २०३१ के अनुसार उक्त भूमि का भू-उपयोग उच्च घनत्व, मिश्रित एवं आवासीय हेतु प्रस्तावित है।	
०८	प्रकरण के तथ्य एवं विचारणीय बिन्दु	<p>०१. प्रकरण को पूर्व में न्यास की मुख्यमंत्री जन आवास योजना २०१५ के ७वी बैठक दिनांक १०.०३.२०१७ में रखा जाकर ३५ के तहत प्रकरण स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया तथा साईट प्लान तैयार कर दिनांक ३१.०३.२०१७ को ३८००३२५/- राशि का मांग पत्र आवेदक को जारी किया गया था। जिसके पश्चात आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कुछ अपरिहार्य कारणों से प्रावधान ३५ में विकसित ना करके ३वी के तहत प्लॉटेड योजना स्वीकृत हेतु आवेदन किया गया है। अतः प्रकरण पूर्व में स्वीकृत ३५ के स्थान पर ३वी के अन्तर्गत स्वीकृत करने हेतु समिति के समक्ष विचारार्थ।</p> <p>०२. न्यास द्वारा पूर्व तैयार साईट प्लान अनुसार प्रकरण में आवेदक की कुल भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार १२१०० वर्गमीटर भूमि है एवं सुपरईम्पोजिसन एवं मौके अनुसार भूमि का रक्का ११५७४ वर्ग मी० प्राप्त होता है। जो ग्राम झिवाणा से बीबीपुर जाने वाली ग्रामीण सड़क पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग के पत्र दिनांक २६.०७.२०१५ के अनुसार १८ मी० है। १८ मी० चौड़ी सड़क में जानी वाली भूमि का क्षेत्रफल ७९.३८ वर्गमीटर भूमि निःशुल्क समर्पित की जाकर शेष ११४९४.६२ वर्गमीटर शेष भूमि बचती है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना २०१५ के प्रावधान अनुसार आवासीय योजना में अधिकतम ७० प्रतिशत विक्रय योग्य क्षेत्रफल लिया जा सकता है।</p>	

आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले-आउट प्लान का तकनीकी विश्लेषण निम्नप्रकार है:-

क्र. स.	उपयोग	प्रतिशत	क्षेत्रफल (वर्ग मी० में)
1.	आवासीय	55.06 प्रतिशत	6329.00
2.	सुविधा	5.02 प्रतिशत	576.6
3.	पार्क	5.01 प्रतिशत	576.38
4	सड़क	34.91 प्रतिशत	4012.64
5	कुल	100 प्रतिशत	11494.62

118

03. आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले-आउट प्लान में आन्तरिक सड़के 09 मी० चौड़ाई में दर्शाई गई है। तथा ई.डब्ल्यू.एस. प्लौटेड के 20 आवास, एल.आई.जी. प्लौटेड के 55, एल.आई.जी. प्लौटेड के 43 आवास प्रस्तावित किये गये हैं जो ले-आउट प्लान में दर्शाये अनुसार समिति के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैं।
04. प्रस्तुत ले-आउट प्लान में कुल 244 आवास प्रस्तावित किये गये हैं। जिसमें से ई.डब्ल्यू.एस. आवासों की सं० 60 है। जो कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान अनुसार कुल आवासों की संख्या का 20 प्रतिशत के अन्तर्गत है।
05. आवेदित भूमि में से गुजर रही 11 केवी की विद्युत लाईन को आवेदक द्वारा स्वयं के खर्च पर स्थानान्तरित करवाना होगा अथवा उससे सुरक्षादूरी छोड़नी होगी जिसके नीचे कोई निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा। इस बाबत आवेदक से शपथ पत्र प्राप्त किये जाने वाले विचारार्थ।
06. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान अनुसार नियमानुसार राशि की गणना की जाँच लेखा शाखा से करवाकर उक्त राशि जमा कराने के पश्चात ही ले-आउट प्लान जारी किये जाने हेतु विचारार्थ।

निर्णय:- समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से आवेदित भूमि का साईट प्लान / ले-आउट प्लान मुख्यमंत्री जन आवास योजना में समिति द्वारा निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया:-

01. प्रकरण को पूर्व में न्यास की मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के 7वीं बैठक दिनांक 10.03.2017 में रखा जाकर 3ए के तहत प्रकरण स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया तथा साईट प्लान तैयार कर दिनांक 31.03.2017 को 3800325/- राशि का मांग पत्र आवेदक को जारी किया गया था। जिसके पश्चात आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कुछ अपरिहार्य कारणों से प्रावधान 3ए में विकसित ना करके 3वीं के तहत प्लौटेड योजना स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। अतः प्रकरण पूर्व में स्वीकृत 3ए के स्थान पर 3वीं के अन्तर्गत स्वीकृति किया जाता है।
02. आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले-आउट प्लान में आन्तरिक सड़के 09 मी० चौड़ाई में दर्शाई गई है। तथा ई.डब्ल्यू.एस. प्लौटेड के 20 आवास, एल.आई.जी. प्लौटेड के 55, एल.आई.जी. प्लौटेड के 43 आवास प्रस्तावित किये गये हैं जिसे समिति द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
03. प्रस्तुत ले-आउट प्लान में कुल 244 आवास प्रस्तावित किये गये हैं। जिसमें से ई.डब्ल्यू.एस. आवासों की सं० 60 है। जो कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान अनुसार कुल आवासों की संख्या का 20 प्रतिशत के अन्तर्गत है। जिसे समिति द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
04. आवेदित भूमि में से गुजर रही 11 केवी की विद्युत लाईन को आवेदक द्वारा स्वयं के खर्च पर स्थानान्तरित करवाना होगा अथवा उससे सुरक्षादूरी छोड़नी होगी जिसके नीचे कोई निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा। इस बाबत आवेदक से शपथ पत्र प्राप्त किया जावें।
05. प्रस्तुत मानविक्री में आवेदक द्वारा प्रस्तावित ग्रीन भाग छोटे-छोटे टुकड़ों में अलग अलग स्थानों पर दर्शाया गया है तथा परियोजना की सड़कों को बीच में बंद किया गया है। अतः आवासीय परियोजना की दृष्टिगत ग्रीन क्षेत्र को एक जगह बड़े पार्क के रूप में विकसित किया जाना उचित है। अतः सड़क एवं ग्रीन में उक्त संशोधन आवेदक से करवाते हुये मानविक्री प्राप्त कर स्वीकृति जारी की जावें।
06. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान अनुसार नियमानुसार राशि की गणना की जाँच लेखा शाखा से करवाकर उक्त समस्त राशि वसूल की जाकर ले-आउट प्लान स्वीकृत किया जावें।

		01
	वैठक	उप विभाजन
	प्रकरण का प्रकार	20.06.2018
	दिनांक	03
	एजेण्डा	
1	विषय	मैं 0 किंगडम एस्टेट प्रा० लि० जरिये अधिकृत हस्ताक्षकर्ता श्री सुरेन्द्र यादव पंजीकृत कार्यालय ए-16 ग्राउण्ड फ्लोर जीतर नगर परवाना रोड दिल्ली जरिये मुआम सह० आवेदक श्री हरदयालसिंह पुत्र श्री बालमुकन्द, महेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरदयाल सिंह, इन्द्रजीत यादव पुत्र श्री जगमाल सिंह, प्रवीन कुमार पुत्र श्री गिरधारी लाल, दाताराम पुत्र हरदयाल, हरिसिंह पुत्र श्री हरदयाल, सन्तोष देवी पत्नी श्री दाताराम निवासी ग्राम फतेहपुरा तह० नीमराणा जिला अलवर राज० द्वारा ग्राम फतेहपुरा तह० नीमराणा जिला अलवर के ख०१० 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 142 कुल किता 10 कुल रकबा 3.595 है० भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ उप विभाजन की स्वीकृति बाबत।
2	आवेदक का नाम	मैं 0 किंगडम एस्टेट प्रा० लि०
3	भूखण्ड का क्षेत्रफल	3.595 है०
4	भूखण्ड के सामने सड़क की चौड़ाई	90 मी० एवं 30 मी० ग्रीन बफर
5	भूखण्ड का उपयोग	आवासीय (मुख्यमंत्री जन आवास योजना )
6	प्रकरण की वर्तमान स्थिति	1. निजी खातेदार मैं 0 किंगडम एस्टेट प्रा० लि० जरिये अधिकृत हस्ताक्षकर्ता श्री सुरेन्द्र यादव पंजीकृत कार्यालय ए-16 ग्राउण्ड फ्लोर जीतर नगर परवाना रोड दिल्ली जरिये मुआम सह० आवेदक श्री हरदयालसिंह पुत्र श्री बालमुकन्द, महेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरदयाल सिंह, इन्द्रजीत यादव पुत्र श्री जगमाल सिंह, प्रवीन कुमार पुत्र श्री गिरधारी लाल, दाताराम पुत्र हरदयाल, हरिसिंह पुत्र श्री हरदयाल, सन्तोष देवी पत्नी श्री दाताराम निवासी ग्राम फतेहपुरा तह० नीमराणा जिला अलवर के ख०१० 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 142 कुल किता 10 कुल रकबा 3.595 है० आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए के अन्तर्गत आवेदन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 12.06.2015 को पारित किये जा चुके हैं इस प्रकार आवेदित भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र की 90-ए की कार्यवाही की जा कर भूमि राजस्व रिकार्ड में न्यास भिवाई के नाम दर्ज हो चुकी है। तथा दिनांक 28.12.2017 को क्षेत्रफल 31057.54 वर्ग मी० की लीजडीड जारी की गई है। आवेदक द्वारा उक्त भूमि का उप विभाजन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। एस.एन.बी मार्स्टर प्लान 2041 के अनुसार उक्त भूमि का भू-उपयोग हाईवे कन्ट्रोल जॉन हेतु प्रस्तावित है।
7	मार्स्टर प्लान में भूमि का उपयोग	
08	मौका रिपोर्ट	कनि० अभियन्ता की मौका रिपोर्ट दिनांक 31.05.2018 के अनुसार मौके पर 11.0X11.0 मी० का कमरा Without Roof बना हुआ है तथा एक छोटा कमरा 5.0X3.0 मी० टीनशेड डालकर बनाया हुआ है शेष भूखण्ड रिक्त है भूखण्ड से 11 केवी. की एच.टी.लाईन गुजर रही है।
9	प्रकरण के तथ्य एवं विचारणीय विन्दु	01. आवेदक द्वारा लीजडीड शुदा 31057.54 वर्ग मी० के भूखण्ड को दो भागों क्रमशः 14199.59 वर्ग मी० एवं 16857.95 वर्ग मी० में विभाजित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत टेन्टेटिव साईट प्लान अवलोकनार्थ समिति के समक्ष प्रस्तुत है। 02. भूखण्ड का क्षेत्रफल 1500 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण उप विभाजन की स्वीकृति की आवश्यकता है। परन्तु मुख्यमंत्री जन आवास योजना में समस्त शक्तियों स्थानीय निकाय को प्राप्त है।
	01. निर्णय:- समिति द्वारा विचार विमर्श कर आवेदक के प्रस्तावित साईट प्लान एवं पूर्व में जारी स्वीकृत साईट प्लान का अवलोकन किया गया तथा आवेदक के प्रस्तावनुसार भूखण्ड को दो भागों में क्रमशः 14199.59 वर्ग मी० एवं 16857.95 वर्ग मी० में विभाजित कर दो अलग अलग साईट प्लान जारी करने का निर्णय लिया गया है। 02. भूखण्ड का क्षेत्रफल 1500 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण उप विभाजन की स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता है। परन्तु मुख्यमंत्री जन आवास योजना में समस्त शक्तियों स्थानीय निकाय को प्राप्त है। जिसे समिति द्वारा स्वीकृत किया जाता है।	

श्रीमती संघ्या सैनी  
सहा० नगर नियोजक

श्री कुमार सम्बव अवरथी  
अधिशासि आभियन्ता  
(सदस्य)

  
श्री संभु प्रसाद यादव  
तहसीलदार  
(सदस्य)

४  
श्री शशिकान्त  
वरिं नगर नियोजक  
(सदस्य सचिव)

श्री मगन लाल योगी  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
(अध्यक्ष)